

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

अधिसूचना

05 सितम्बर, 2008 ई0

संख्या 316/XXVII(9)/स्टाम्प/2008—उत्तराखण्ड में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) द्वारा एल्डिको-सिडकुल इण्डस्ट्रीयल पार्क लिमिटेड, सितारगंज के संयुक्त उपक्रम के पक्ष में आवंटित की जाने वाली भूमि पर सिडकुल के द्वारा निर्धारित प्रीमियम रु0 2.85 लाख प्रति एकड़ की दर से दिनांक 30-09-2008 तक स्टाम्प शुल्क लिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एल0 एम0 पन्त,
सचिव।

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 13-9-2008, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 112 वित्त/705-19-9-2008-200 (कम्प्यूटर/रीजियो)